(1)

B.A. Part - III
Sub — Pol. Science.
paper — VIII (Special paper)
Group — A (International Law and organisation)

Topic — "Sources of International Law"
(अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि के स्रोत)

Dr. Dhananjay Jha.
Assistant professor
(Guest faculty/part time)
Dept. of Pol. Science
L.S. College, Muz.
Mob. - 8210688019.

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत : ⟹

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के संबंध में विधिवेत्ताओं तथा विद्वानों ने अपने-अपने दिलाब से भिन्न-2 प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के प्रकार एवं संख्या के संबंध में अलग-अलग विचार प्रस्तुत किये गये हैं।

स्टार्क (Starke) ने कानून के चार स्रोत माने हैं. —

— (1) रीति-रिवाज या प्रथाएँ (Customs)
— (2) सन्धियाँ (Treaties and Conventions)
— (3) पंच निर्णय
— (4) कानूनवेत्ताओं या विधिवेत्ताओं के ग्रंथ एवं प्रलेख।

— (1) रीति-रिवाज या प्रथाएँ (Customs) : ⟹

यों तो अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि या परिनियम (Statute) में सबसे उपर संधियों एवं अनुबन्धों का ही उल्लेख है, परन्तु प्रथाएँ अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्राचीनतम स्रोत हैं। अतः विभिन्न स्रोतों के आक्रमण का प्रारम्भ इन्हीं से होना चाहिए। 19 वीं शताब्दी के अन्त तक प्रथाओं को ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता था, परन्तु 20 वीं शती में बहुत सी विधि निर्माती बहुपक्षीय

(2) संधियों के सम्पन्न होने से प्रथाओं (Customs) के स्थान पर संधियाँ अन्तर्राष्ट्रीय कानून या विधि के महत्वपूर्ण स्रोत बन गये हैं। फिर भी इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी विधि कार्यसंधियों का आधार भी मुख्यत: प्रथाएं ही रही हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं को समझने के लिए प्रथाओं एवं व्यवहारों के बीच (between Customs and usages) अंतर एवं उनके बीच पारस्परिक सम्बन्धों को स्पष्ट करना वांछनीय होगा।

प्रथा :⟹ प्रथा आचरण करने के ऐसे स्पष्ट एवं सतत् स्वभाव को कहते हैं, जिसका विकास उस विश्वास के अन्तर्गत हुआ है कि यह आचरण अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनिवार्य अथवा उचित है।

व्यवहार :⟹ जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, वह आचरण करने का वैसा स्वभाव है, जिसमें यह भाव निहित होता है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अनिवार्य अथवा उचित है। इसके अतिरिक्त व्यवहार, आचरण के वैसे स्वभाव को कहते हैं जो अपने निर्माण के प्रारम्भिक चरण में होते हैं। साथ ही विश्व के अधिकांश देशों या सभी राज्यों द्वारा इन्हें सामान्य रूप से नहीं माना जाता। जबकि प्रथाएं अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ होती हैं और इनके विकसित रूप में होने के कारण विश्व के अधिकांश देश इन्हें मानते हैं। पिटकोबेट (Pittcobett) ने प्रथाएं तथा व्यवहार (Customs and usages) के बीच के अंतर को और अधिक स्पष्ट किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विकास मूलत: परम्पराओं के द्वारा हुआ है और परम्पराएं (Customs) लम्बे आचरण का प्रतिफल है। राज्यों के बीच लम्बे आचरण ने एक सामान्य स्वीकृति को विकसित किया है, जिसने राज्यों की बाध्यता को बढ़ाने का कार्य किया है।

—x—